निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 28/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

रामस्वरूप पुत्र नवल उर्फ नौला जाति गुर्जर निवासी ग्राम नमनोरियावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री हिम्मत सिंह आर.ए. एस. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय ।
2. रामजीलाल पुत्र श्री श्योराम
3. सीताराम पुत्र श्री श्योराम
4. मुकेश पुत्र श्री श्योराम

   समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम नमनोरियावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

5. मांगीलाल पुत्र स्व. घासी
6. बाबूलाल पुत्र नवल उर्फ नौला
7. हरलाल पुत्र रामेश्वर
8. हनुमान पुत्र रामेश्वर

   समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम नमनोरियावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
9. श्रीमती इन्दिरा पुत्री रामेश्वर पत्नी श्री भरत लाल गुर्जर, जाति गुर्जर निवासी चरी की ढाणी, ग्राम बालापुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर ।
10. सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
11. कानाराम पुत्र रामचन्द्र
12. कालूराम पुत्र रामचन्द्र
13. देवकरण पुत्र रामचन्द्र
14. नन्दा पुत्र रामचन्द्र
15. भागचन्द पुत्र रामचन्द्र
16. कानाराम पुत्र राघाकिशन
17. गंगाराम पुत्र राधाकिशन
18. मुकेश पुत्र श्योराम
19. कमलेश पुत्र सूजाराम
20. श्रीमती कमला देवी पत्नी रामू उर्फ रामलाल
21. कल्याण मल पुत्र जोरिया
22. कल्याणी पत्नी बालूराम
23. कानाराम पुत्र बालू

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

24. गंगाराम पुत्र घीसालाल
25. गंगाराम पुत्र घासी
26. गाजीराम पुत्र बन्नाराम
27. गोविन्द नारायण पुत्र रामू उर्फ रामलाल
28. श्रीमती चन्दा देवी पत्नी श्याम लाल
29. जीवनी पुत्री श्यामलाल
30. नन्च्या पुत्र मोती
31. पप्पू लाल पुत्र रामू उर्फ रामलाल
32. बदाम देवी पत्नी रूपनारायण
33. बिरदा पुत्र बन्नाराम
34. भूरा पुत्र सरदारा
35. भोज कुमार पुत्र रामाकिशन
36. श्रीमती मन्नी देवी पत्नी घासी
37. माधोलाल पुत्र जोरिया
38. रचना पुत्री सूजाराम
39. रतन लाल पुत्र खेमा
40. रामनिवास पुत्र श्री रूपरानायण नाबालिग जरिये संरक्षिका माता बदाम देवी
41. राम फूल पुत्र रूपनारायण नाबालिग जरिये संरक्षिका माता बदाम देवी
42. राम बाबू पुत्र रूपनारायण नाबालिग जरिये संरक्षिका माता बदाम देवी
43. रामहेत पुत्र श्याम लाल
44. रामावतार पुत्र रामू उर्फ रामलाल

समस्त जाति गुर्जर निवासी, ग्राम नमनोरियावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

तरतीबी अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर॰टी॰एक्ट 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 260/2022 ब उनवानी रामजीलाल व अन्य बनाम मांगीलाल व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री एस॰ जे॰ गिरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री कालूराम मीणा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 की ओर से ।

जिला कलक्टर
जयपुर

निर्णय दिनांक 08.07.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष प्रकरण संख्या 260/2022 व उनवानी रामजीलाल व अन्य बनाम मांगीलाल व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता श्री कालूराम मीणा ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 10.03.2024 को गांव में अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 द्वारा प्रार्थी को धमकी दी कि पीठासीन अधिकारी हमारे परिचित है जिनसे हमारी बात हो चुकी है और वह शीघ्र ही दावे का निस्तारण हमारे पक्ष में कर देंगे। प्रार्थी गत तारीख पेशी पर न्यायालय मे गया तो प्रार्थी द्वारा उक्त घटना की जानकारी पीठासीन अधिकारी को दी जिस पर पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी को धमकाते हुये कहा कि तुम इन लोगों से राजीनामा कर लो इनकी पहुंच ऊपर तक है, मैं कुछ नहीं कर सकता जिससे प्रार्थी को घोर आशंका उत्पन्न हो गई कि अब अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को न्याय से वंचित कर सकता है। पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में छोटी छोटी तारीख पेशी नियत की जा रही है जिस कारण भी प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 से न्याय की उम्मीद नहीं रही है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 ने पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ कर रखी है और येन केन प्रकारेण प्रार्थी के विरुद्ध फैसला करने पर आमादा है । पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णय करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पास न्यायालय के समक्ष मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। पीठासीन अधिकारी द्वारा उनके न्यायालय में मुकदमों का अम्बार होने के बावजूद भी प्रकरण में पास पास की तारीख दे कर स्वयं का हित होना स्पष्ट संकेत देता है । इसलिए भी प्रार्थी को उनसे न्याय की कोई उम्मीद नही है। अतः उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु अन्यत्र सक्षम न्यायालय मे अन्तरित करने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 08.12.2023 से उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को धारा 212 आर टी ए 1955 के प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुन कर एक माह में तथ्यों तथा विधि के अनूकूल निर्णय पारित करने के निर्देश दिये है। जिसकी पालना में पीठासीन अधिकारी द्वारा छोटी तारीख दी जाती है। प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

7. उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा छोटी छोटी तारीख पेशी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से एक माह में टी आई प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने के निर्देश होने से दी जा रही है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो ।

9. निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर